

मज़दूर मोर्चा

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

सासाहिक

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97



फरीदाबाद पुलिस में मास्क घोटाला

3

अस्पताल मालिकों से पूछताछ क्यों नहीं

4

ग्रेटर फरीदाबाद झोलाछाप डॉक्टरों की गिरफ्त में

5

सोनिया का सिस्टम, मोदी का सिस्टम

6

श्रीराम अस्पताल में अब एमसीएफ का प्रशासक

8

वर्ष 34

अंक 27

फरीदाबाद

16 मई-22 मई 2021

फोन-8851091460

₹3.00

10 लाख की रिश्वत नहीं मिली तो सीआईए सेक्टर 56 ने 'लूटी' ढाई करोड़ की शराब

सब इंस्पेक्टर रवीन्द्र पर ठेकेदार का गंभीर आरोप, एक्साइज विभाग ने भी कहा - छापा अवैध

मजदूर मोर्चा ब्लूग

फरीदाबाद: सेक्टर 56 सीआईए पुलिस गहरे विवाद में फंस गई है। इसके इंचार्ज रवीन्द्र पर मंजूरशुदा शराब के ठेके से ढाई-तीन करोड़ की शराब लूटने और रिश्वत मांगने का आरोप ठेके के मालिक ने लगाया है। शराब ठेकेदार सरदार मनिन्द्र सिंह ने यह भी कहा है कि वह सब इंस्पेक्टर रवीन्द्र को हर महीने एक लाख रुपये देता था। आबकारी और कराधान विभाग हरियाणा ने शराब ठेकेदार के अधिकांश आरोपों को सही ठराया है। एक्साइज विभाग की टीम ने मौके का मुआयना भी किया है। फरीदाबाद पुलिस के अधिकारियों ने पूरी तरह से सारे मामले में चुप्पी साध ली है। हर मामले में बयान देने वाले पुलिस कमिशनर ओपी सिंह तक भी सामने नहीं आए।

बिना एक्साइज विभाग कैसे मारा छापा

सेक्टर 56 सीआईए पुलिस ने एसजीएम नगर में राजा चौक पर स्थित मुख्य होटल के पास मंजूरशुदा शराब के ठेके पर बुधवार को छापा मारा। सीआईए का कहना था कि उसे लॉकडाउन में अवैध रुप से शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके से ठेके के दो कर्मचारियों को पकड़ा। यहां तक तो स्थित ठीक थी लेकिन सीआईए पुलिस के सात लोगों की टीम गुरुवार दोपहर बाद तक भी छापे की कार्रवाई करती रही। इस दौरान पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी को अपने साथ शामिल नहीं किया था। एक्साइज कानून के तहत डीएसपी स्तर के अधिकारी के साथ ही पुलिस किसी ऐसे ठेके पर छापा मार सकती है लेकिन उसके साथ एक्साइज विभाग का कोई अधिकारी होना चाहिए।

इस ठेके पर सीआईए टीम ने 24 घंटे के अंदर आधी से ज्यादा दुकान को खाली कर दिया। ट्रकों में भरकर वहां से शराब अज्ञात स्थानों पर भेज दी गई। इस बीच गुरुवार को मीडिया शराब ठेके पर पहुंच गई और उसने सारा आरोपण लाइव कर दिया। मीडिया के सामने आए शराब ठेकेदार ने कैमरे के सामने आरोप लगाया कि सब इंस्पेक्टर रवीन्द्र पहले सीआईए-30 में था, तब उसे वह हर महीने एक लाख रुपये पूरी सीआईए-30 की ब्रांच

फरीदाबाद (म.मो)। न जाने क्यों भाजपा सरकार को हरे-भरे वृक्षों से इतनी भारी दुश्मनी है। शायद वे चाहते हैं कि जनता को न तो शुद्ध हवा मिल सके और न ही प्रदूषण कम हो।

सेक्टर 7-8 की विभाजक सड़क गुडगांव नहर से पार करते हुए सेक्टर-3 होते हुए तिगांव रोड तक जाती है, इस पर लगे पचासों पेंड़ बीते पखवाड़े काट डाले गये। ये पेंड़ नहर पार के सेक्टर 3 क्षेत्र में थे। इनमें से कुछ पीपल तथा बड़े के वृक्ष 60-70 वर्ष पुराने थे। सेक्टर तीन निवासी अनिन तेवतिया ने बताया आठ वृक्ष तो उनके दादा स्वर्गीय बलबीर सिंह (सोही के पर्व सरपंच द्वारा 1950 के दशक में लगाये थे)। पूरे परिवार ने इन वृक्षों को अपने बच्चों की तरह पाला था। आज उन्हें, कटता देख सरपंच के आंसू छलक आये। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काफी विरोध भी किया। स्थानीय विधायक एवं मंत्री मूलचंद शर्मा से भी गुहर लगाई, परन्तु सड़क चौड़ाने एवं

रवीन्द्र का काला इतिहास



यह वही रवीन्द्र है जो करीब तीन वर्ष पूर्व सेक्टर-85 क्राइम ब्रांच का इंचार्ज था। उस वक्त यह रात में शराब के नशे में धूत होकर बसेलवा कालोनी के एक टैक्सी ड्राइवर से उलझ गया। ड्राइवर भी स्थानीय गृजर था जो इससे दबा नहीं और अपनी टैक्सी लेकर निकल लिया। रवीन्द्र को अपनी बेटीजी महसूस हुई तो उसका पीछा करके बसेलवा कालोनी के आसपास रवीन्द्र ने उसे दबोच लिया और सीआईए सेक्टर-30 में लाकर दो सिपाहियों की मदद से बहुत बुरा तरह से बॉर्चर किया था। मरणासन स्थिति में रवीन्द्र उसे बीके अस्पताल में फेंक कर चला गया था।

मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस को रवीन्द्र व उक दोनों सिपाहियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करना पड़ा था और रवीन्द्र फरार हो गया था। इस मुकदमे में तत्कालीन सीआईए इन्स्पेक्टर इंचार्ज संदीप मोर को भी लेपेटने का प्रयास किया गया था, परन्तु इन्स्पेक्टर मोर उन दिनों छुट्टियों पर चल रहे थे इसलिये तत्कालीन सीपी अमिताभ ढिलो ने मोर को छोड़कर उक तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। जानकार बताते हैं कि रवीन्द्र ने उस वक्त 14 लाख देकर उस ड्राइवर से समझौता करके जान छुड़ाई थी। यहां सबाल यह पैदा होता है जो दागी पुलिसकर्मी महकमे में रहने के लायक ही न हो उसे सीपी ओम प्रकाश सिंह इतना पसंद क्यों करते हैं जो उसे किसी इन्स्पेक्टर की पोस्ट पर लगाकर लूटने की खुली छूट दे दें? इतना ही नहीं रवीन्द्र के सामने डीसीपी क्राइम की भी कोई औकात सीपी न होने छोड़ी जब डीसीपी के रोकने के बावजूद रवीन्द्र बेंखोफ लूटमारी में जुटा रहा। इशारा साफ है कि यह सारी लूट मारी रवीन्द्र अपने आका, सीपी के निर्देशन पर ही कर रहा है।

के नाम पर पहुंचा रहा था। हाल ही में सेक्टर 56 सीआईए का इंचार्ज बन गया और उसने कुछ दिन पहले डिस्कवरी ब्रांड की पेटी और दस लाख की रिश्वत मांगी। ठेकेदार के मुताबिक उसने रवीन्द्र से कहा कि जब वो हर महीने एक लाख दे रहा है तो दस लाख नहीं दे सकता। रवीन्द्र ने ठेकेदार से कहा कि उसे ऊपर तक पहुंचाने होते हैं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। उसने आरोप लगाया कि रवीन्द्र ने अपने गुर्गों के जरिये उसे मैसेज भिजवाए कि अगर दस लाख नहीं मिले तो उसे बड़े मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। रवीन्द्र ने उसे रोलर फेरने की भी धमकी दी। सीआईए ने छापे की कार्रवाई बुधवार को शुरू की थी लेकिन उसने केस गुरुवार को दर्ज किया। ठेकेदार का आरोप है कि उसकी डाई-तीन करोड़ की शराब रवीन्द्र पहले सीआईए-30 में था, तब उसे वह हर महीने एक लाख रुपये पूरी सीआईए-30 की ब्रांच

एक्साइज विभाग ने पोल खोली एक्साइज विभाग के अफसरों को जब उसके काम किया गया था। एक्साइज विभाग के डीटीसी प्राइम से संपर्क किया गया था। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े करते हुए कहा कि पुलिस लॉकडाउन में गैरकानूनी शराब बेचे जाने पर केस दर्ज कर सकती है। यह उसका अधिकार है लेकिन किसी सरकारी ठेके से लाखों की शराब जब्त कर लेना नियमों के खिलाफ है।

सीआईए सेक्टर 56 पुलिस ने यह गैरकानूनी काम किया है। हर पेटी का रेकॉर्ड होता है, ठेकेदार ने इसके लिए टैक्स भरा है। विभाग के पास पूरी सूची है। अगर किसी शराब ठेके पर छापा मारना ही है तो सबसे पहले एक्साइज विभाग की टीम और डीएसपी स्तर का अधिकारी छापा मारने वाली टीम के साथ होना चाहिए। सीआईए पुलिस



का यह छापा और शराब को जब्त करना अवैध है। वह हमारे रेकॉर्ड में ढाई शराब की पेटियों को हजम नहीं कर सकती। उसे हर पेटी का हिसाब देना होगा। कैमरे पर डीटीसी सीधे पूछा कि तुमने किस कानून की किस धारा के तहत यह माल डाला है। लेकिन वह कोई जवाब न दे सका। हर सबाल के जवाब में वह यही कहता रहा कि आईओ बताये। आईओ कहां हैं पता नहीं।

डीसीपी क्राईम ने हाथ खड़े कर दिए

सब इंस्पेक्टर रवीन्द्र की इस हरकत की शिकायत करने के लिए एक्साइज विभाग और शराब ठेकेदार ने डीसीपी क्राईम से संपर्क किया। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े करते हुए कहा कि इस संबंध में सीधे पुलिस कमिश्नर से बात की जाए। जब इन लोगों ने कमिश्नर ओ.पी. सिंह से अनेकों बार संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने हाल ही में कुछ सब इंस्पेक्टरों को उनकी उम्मीद से ज्यादा देते हुए महत्वपूर्ण थानों, चौकियों और सीआईए का इंचार्ज बना दिया। आमतौर पर इंस्पेक्टर इंक के पुलिस वाले को सीआईए इंचार्ज बनाने की परम्परा है लेकिन पुलिस कमिश्नर ने रवीन्द्र को सेक्टर 56 में बाकायदा इंचार्ज बना दिया। लेकिन अब उसी रवीन्द्र की वजह से फरीदाबाद पुलिस की किरकिरी

बीच-बीच से गुजरने वाली मथुरा रोड को 6 लेन बनाने के बाद यातायत की समस्या काफी हल हो चुकी है, कमी है तो सर्विस रोड की जिसकी वजह से पुलों के नीचे जाम की स्थिति बनी रहती है।